झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

आदेश सं०–08 / ज०स०(नि०) ग्रा०–08–17 / 17.................................. / राँची, दिनांक ....

–: आदेश :–

चूँकि पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, प्रमण्डलीय कार्यालय, कोल्हान, जमशेदपुर पत्रांक–403 दिनांक–03.05.17 एवं 921 (अनु०) दिनांक–10.11.2017 के द्वारा श्री मनोज कुमार, तत्कालीन कनीय अभियंता, जिला परिषद्, पश्चिम सिंहभूम, चाईबासा, सम्प्रति सहायक अभियंता (चालू प्रभार), लघु वितरणी प्रमण्डल सं०–03, डिमना रोड, मानगो, जमशेदपुर के विरूद्ध उपलब्ध कागजात, प्राथमिकी, पर्यवेक्षण–टिप्पणी तथा अभिलेखों के परिशीलन के बाद यह समाधान हो गया है कि राँची निगरानी थाना काण्ड संख्या–06 / 15 दिनांक–13.03.2015 धारा 406, 409, 419, 420 एवं 120 (बी०) भा०द०वि० एवं 13 (2)–सह–पठित धारा–13(1) (सी०)(डी०) भ्र०नि०अधि०–1988 के अन्तर्गत आरोप–पत्र का पर्याप्त साक्ष्य है। फलस्वरूप श्री मनोज कुमार के विरूद्ध धारा 197 द०प्र०सं० तथा भ्र०नि०अधि०–1988 की धारा 19 (1) (बी०) में प्रदत्त शक्तियों के तहत उपयोग करते हुए प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के लिये अभियोजन का मामला बनता है।

और चूँकि दण्ड प्रक्रिया संहिता में निहित उपबंधों के अधीन कोई भी न्यायालय किसी ऐसे लोक सेवक के विरूद्ध जो राज्य सरकार के मंजूरी से ही अपने पद से हटाया जा सकता है, किसी ऐसे अपराध को जो इसके द्वारा पदीय कर्त्तव्यों के निर्वहन में कार्य करते हुए या कार्य करने का तात्पर्य रखते हुए या कार्य करने का तात्पर्य रखते हुए किया गया अभिकथित हो, संज्ञान नहीं ले सकता है।

और चूँकि श्री मनोज कुमार, तत्कालीन कनीय अभियंता, जिला परिषद्, पश्चिम सिंहभूम, चाईबासा, सम्प्रति सहायक अभियंता (चालू प्रभार), लघु वितरणी प्रमण्डल सं०–03, डिमना रोड, मानगो, जमशेदपुर ऐसे लोक सेवक हैं, जो सरकार की मंजूरी पर ही सेवा से हटाये जा सकते हैं और यह अभिकथित है कि उन्होंने यह अपराध अपने पदीय कर्त्तव्यों के निर्वहन् में कार्य करते हुए किया है और अब इसलिए राँची निगरानी थाना काण्ड संख्या–06 / 15 दिनांक–13.03.2015 में राज्य सरकार एतद् द्वारा दण्ड संहिता (1860 के अधिनियम सं०–45) की धारा 406, 409, 419, 420 एवं 120 (बी०) भा०द०वि०, धारा–25 मनरेगा अधिनियम एवं धारा 13(2) सह पठित धारा 13(1)(सी) (डी) भ्र०नि० अधि० 1988 के अंतर्गत अपराध के लिए माननीय न्यायालय में अभियोजन चलाने हेतु उनके विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह० / –

(आर० एस० तिग्गा)

अभियंता प्रमुख–I

ज्ञापांक :– / राँची, दिनांक :–

प्रतिलिपिः–उपायुक्त पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा / पुलिस अधीक्षक पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –

अभियंता प्रमुख– I

ज्ञापांक :– / राँची, दिनांक :–

प्रतिलिपिः–पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, प्रमण्डलीय कार्यालय, कोल्हान, जमशेदपुर के पत्रांक–921 दिनांक–10.11.2017 के प्रसंग में तथा श्री सुनील कुमार चौधरी, पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह० / –

अभियंता प्रमुख– I

ज्ञापांक :– 51 / राँची, दिनांक :– 04-01-18

प्रतिलिपिः–सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची के प्रधान आप्त सचिव / संयुक्त सचिव (प्र०) / अवर सचिव, प्रशाखा–08 (निगरानी) / अवर सचिव, प्रशाखा–03 / वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

03/01/18

अभियंता प्रमुख– I

D:\SEC-03\Adesh\Manoj Kumar (Chaibasa-DEC-17).docx